



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13212

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 523 सन् 2026

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: रागिनी पांडे, उग्रसेन कुमार पांडे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री उग्रसेन कुमार पांडे और राज्य के स्थायी अधिवक्ता जितेंद्र प्रसाद की दलीलें सुनीं।
2. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे राज्य सरकार के अधीन समूह सी पदों से सेवानिवृत्त हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है और वे दिनांक 2.12.2000 को जारी शासनादेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार हैं।
3. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा ग्रुप सी पदों से सेवानिवृत्त होने से पहले सेवाकाल में व्यतीत सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए, शासनादेश के अनुसार 19 वर्ष की सेवा की गणना करें और एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करें।
4. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सिविल विविध मामले में दिनांक 7.09.2012 को पारित निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं जताई। रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के साथ-साथ इसी प्रकार की याचिका, रिट ए संख्या 6429/2018 (दिनेश कुमार शुक्ला और 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य), जिसका निर्णय 22.02.2018 को हुआ था। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत अंतरा-न्यायालय अपील में चुनौती दी गई थी और इस पर दिनांक 07.09.2016 के निर्णय और आदेश द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के दावे को सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय और आदेश के अनुसरण में उचित ठहराया गया था।

5. मामले की गुण-दोषों पर विचार किए बिना, अदालत में दिए गए निवेदनों पर गौर करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर भवन, लखनऊ स्थित पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) स्थापना को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करना होगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।